

डिक्री बमूकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम मेड़ता व इजलास श्री के.आर. चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 458/2018

वादी :- पुनमचंद पुत्र श्री धुलाराम, जाति विश्नोई, निवासी जारोड़ा खुर्द, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रामप्रसाद पुत्र श्री धुलाराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र श्री धुलाराम
3. रामप्यारी पुत्री श्री धुलाराम
4. पतासी पुत्री श्री धुलाराम
5. चन्दा पुत्री श्री धुलाराम
6. प्रेमसुख पुत्र श्री रामलाल
7. रोशनी पुत्री श्री रामलाल
8. गीतादेवी पत्नी श्री रामलाल
9. रामनिवास पुत्र श्री भोलाराम
10. रामचन्द्र पुत्र श्री भोलाराम
जातियान विश्नोई, निवासीगण जारोड़ा खुर्द
तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
11. तहसीलदार, मेड़ता
12. पटवारी हल्का, जारोड़ कलां
13. पटवारी हल्का, खेड़ली।

दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 28.08.2019

वाद वास्ते बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा मुकदमा 458 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिम मुदयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व माफिक राजीनामा डिगरी दी जाती है कि वादी पुनमचंद के बंट में :- मौजा जारोड़ा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 109 रकबा 2.26 हैक्टेयर में से रकबा 0.52 हैक्टेयर तथा मौजा जारोड़ा खुर्द चक की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से रकबा 0.61 हैक्टेयर तथा मौजा पूंजियास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 2.92 हैक्टेयर में से रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रसाद के बंट में :- मौजा जारोड़ा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 2.26 हैक्टेयर में से रकबा 0.58

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (रा.ब.)

हैक्टेयर तथा मौजा जारोड़ा खुर्द चक की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से 0.72 हैक्टेयर तथा मौजा खेडूली की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 44 रकबा 4.22 हैक्टेयर में से रकबा 2.08 हैक्टेयर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मणराम के बंट में :- मौजा जारोड़ा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 2.26 हैक्टेयर में से रकबा 0.58 हैक्टेयर तथा मौजा पूजियास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 2.92 हैक्टेयर में से रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.13 हैक्टेयर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 8 गीतादेवी के बंट में :- मौजा जारोड़ा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 2.26 हैक्टेयर में से रकबा 0.58 हैक्टेयर तथा मौजा जारोड़ा खुर्द चक की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से रकबा 0.72 हैक्टेयर तथा मौजा खेडूली की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 44 रकबा 4.22 हैक्टेयर में से रकबा 2.08 हैक्टेयर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 रामनिवास व रामचन्द्र के बंट में :- मौजा जारोड़ा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। खसरा नम्बर 44 रकबा 4.22 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर रास्ता हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 8 के शामलाती रखा गया है। खसरा नम्बर 39 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर रास्ता हेतु वादी पुनमचंद व प्रतिवादीगण रामप्रसाद व गीतादेवी के शामलाती रखा गया है। खसरा नम्बर 57 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर रास्ता हेतु वादी व प्रतिवादीगण रामनिवास व रामचन्द्र के शामलाती रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 ने अपने हक की सम्पूर्ण भूमि का हक तर्क वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 8 से 10 के पक्ष कर दिया है।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो, अन्यथा आदेश नहीं हो, विधिक बाधा नहीं हो तथा भूमि रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

लीज..... मुबलिक..... बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..... फोस सदी सालाना आज
 तारीख तारीख वसूलयोबो तक..... को अदा करे।
 बसीबत पेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... माह.....

..... सन् 20१९

दस्तखत..... अधिकारी
 ओहदा..... मेड़ता (उप.)